राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित :-(1) समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
(2) समस्त जिला कलेक्टर , राजस्थान ।
(3) निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।

क्रमांक:- प•5(6)राज-6/98 जयपुर, दिनांक:-29-5-98

विषय:- राजस्थान जमींदारी या विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 के तहत जिला कलेक्टर की शक्तियों के बारे में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

राजस्थान जमींदारी एवं विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 की धारा 11 में जिला कलेक्टर को खुदकाश्त भूमि के आवंटन की शक्तियां प्रदान की गई है , उक्त अधिनियम में जिला कलेक्टर को परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु काश्तकारी अधिनियम , 1955 की परिभाषायें इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ लागू होती है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दी गयी जिला कलेक्टर की परिभाषा के अनुसार जिला कलेक्टर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी सम्मिलित है ।

अत: राजस्थान जमींदारी एवं विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 की धारा-11 में खुदकाश्त भूमि के आवंटन के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटन की उक्त शक्तियां जिला कलेक्टर के अलावा अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा भी प्रयुक्त की जा सकती है ।

भवदीय,

(के० पी० सिंघल)
शासन उप सचिव

मनोज/